UPKJ010002592011

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र), कक्ष संख्या–1, जनपद कन्नौज।

उपस्थितः–हरि प्रसाद (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O.CODE–UP6489

विशेष सत्र परीक्षण वाद संख्या–47/2011

मुकदमा अपराध संख्या–220/1998

राज्य प्रति विनोद अवस्थी आदि

धारा–392,411 भारतीय दण्ड संहिता

थाना–ठठिया, जनपद कन्नौज।

उत्तर प्रदेश राज्य ....**अभियोजनपक्ष**

प्रति

विनोद अवस्थी पुत्र कालिका प्रसाद अवस्थी

निवासी– मो० मारिया कस्बा व थाना ठठिया, जनपद कन्नौज। .....**अभियुक्त**

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक प्रकरण का विचारण अभियुक्तगण **विनोद अवस्थी, योगेन्द्र** एवं **संजू सिंह उर्फ मंजू ठाकुमर** के विरूद्ध संस्थित विशेष सत्र परीक्षण वाद संख्या–47/2011 बावत मुकदमा अपराध संख्या–220/1998 अर्न्तगत **धारा–392, 411 भारतीय दण्ड संहिता थाना ठठिया** व जिला कन्नौज में न्यायालय विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र कन्नौज के समक्ष प्रेषित आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लेने के उपरान्त विचारण हेतु पत्रावली बाद स्थानान्तरण इस न्यायालय को प्राप्त हुई। **प्रस्तुत प्रकरण के सहअभियुक्तगण योगेन्द्र सिंह एवं संजू सिंह उर्फ मंजू ठाकुर की मृत्यु दौरान विचारण हो चुकी है एवं उनके विरूद्ध इस दाण्डिक वाद की कार्यवाही उपशमित की जा चुकी है।** इस निर्णय के माध्यम से **शेष अभियुक्त विनोद अवस्थी** का विचारण किया जा रहा है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इसप्रकार है कि **वादी मुकदमा सुरेन्द्र सिंह** ने

Digitally signed by HARI PRASAD
Date: 2026.03.30 11:11:37 IST
Reason: ACCUSED AQUITTAL
Location: ADJ COURT NO 1 KANNAUJ

थाना ठठिया में दिनांक 09.08.1998 को तहरीर/प्रार्थनापत्र प्रदर्श क–1 इस आशय का प्रस्तुत किया कि मैं लखनऊ में प्राइवेट नौकरी करता हूं। रक्षाबन्धन का त्योहार मनाने के लिये दिनांक 08.08.1998 को अपने दोस्त ड्राईवर अमर सिंह पुत्र राजामराम निवासी सरोजनी नगर लखनऊ के विक्रम यू०पी० 32ए 7801 के साधन से घर आया था। दिनांक 09.08.1998 को जब लखनऊ वापस जा रहे थे तो मेरे साथ में हमारे गांव के रंजीत कुमार व हम दोनों लोग जा रहे थे कि जैसे ही हमारी गाड़ी रामपुर के सामने पहुंची कि मेरे पीछे एक सुजुकी बिना नम्बर की जिसपर तीन लोग बैठे थे। मेरी गाड़ी के सामने लगाकर विक्रम को रोक लिया। इन तीनों लोगों ने जबरदस्ती मुझसे दो सौ रूपये मांगे। जब मैंने कहा कि मेरी मर्जी के खिलाफ रोड पर नहीं चल सकते। जब मैंने पैसा नहीं दिया तो जबरदस्ती मेरी जेब से सूजुकी पर बैठे दो सवार जिनमें से एक ने मेरे साथ पकड़ लिया और दूसरे ने पचास रूपये जबरन मेरी जेब से निकाल लिये। मेरे साथ रंजीत कुमार ने आगे चले गये। मैं भी उनके पीछे विक्रम से चला। यह घटना करीब 05.00 बजे सायं की है। आगे चलकर हम लोगों को सामने से आती गश्ती पुलिस को मैंने घटना बतायी तो हम लोगों को साथ में होकर बदमाशों का पीछा किया कि मोटरसाइकिल सुजुकी जिसमें पेट्रोल खत्म हो गया था तीनों लोग घूम फिरकर रामपुर के सामने मिले कि पहचान कर हम लोगों ने पुलिस की मदद से पकड़ लिया। पकड़े हुये व्यक्ति विनोद अवस्थी पुत्र कालिका प्रसाद निवासी ठठिया पहने शर्ट की जेब से मेरा लूटा हुआ पचास रूपये का नोट हम लोगों के सामने पुलिस पार्टी ने बरामद किया व संजू उर्फ मंजू पुत्र सुन्दर सिंह ठाकुर निवासी रामपुर के पहने शर्ट की बांयी तरफ जेब से करीब–करीब 60 ग्राम चरस एक मोमिया में लिपटा हुआ निकाल कर हम लोगों के सामने पुलिस पार्टी को दिया जिसकी पुलिस ने बरामद चरस की लिखा पढ़ी मौके पर की। संजू उर्फ मंजू से कहा कि किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस राजपत्रित अधिकारी के सामने चलकर चरस बरामदगी की तलाशी दो तो कहा कि आप सब लोग हमारे लिये मजिस्ट्रेट है। योगेन्द्र सिंह पुत्र किशनपाल निवासी सुजानपुर थाना रसूलाबाद, कानपुर देहात को भी मय मोटरसाइकिल के पकड़ लिया मोटरसाइकिल के कागजात मौके पर नहीं थे।

3. वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तहरीर **प्रदर्श क–1** के आधार पर थाना ठठिया में प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क–2** मुकदमा अपराध संख्या–220/1998

अन्तर्गत धारा–392, 411 भारतीय दण्ड संहिता दिनांक 09.08.1998 समय 19.45 बजे विरूद्ध उपरोक्त अभियुक्तगण दर्ज की गई जिसका खुलासा जी0डी0 रपट नं0–28 दिनांकित–09.08.1998 समय 03.45 बजे प्रदर्श क–3 में किया गया।

4. विवेचक द्वारा साक्षीगणों के बयान अन्तर्गत धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किये गये तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क–4 तैयार की गयी। विवेचक द्वारा अभियुक्तगण **विनोद कुमार, संजू सिंह उर्फ मंजू ठाकुर एवं योगेन्द्र सिंह** के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत **धारा–392, 411 भारतीय दण्ड संहिता** में आरोप पत्र **प्रदर्श क–5** प्रेषित किया गया।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान ए.डी.जी.सी. (दाण्डिक) एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को आरोप के प्रश्न पर सुनने के पश्चात दिनांक 15.04.2011 को विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र)/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–2, जनपद कन्नौज द्वारा अभियुक्तगण **विनोद अवस्थी एवं योगेन्द्र सिंह** के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत **धारा–392,411 भारतीय दण्ड संहिता** में विरचित किया गया। अभियुक्तगणों ने स्वयं के विरूद्ध विरचित आरोपों से इंकार करते हुए विचारण की याचना की।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने केस के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के तौर पर साक्षी पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा सुरेन्द्र सिंह एवं साक्षी पी0डब्लू0–2 रंजीत सिंह को परीक्षित कराया गया।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में तहरीर प्रदर्श क–1, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–2, जी.डी. प्रदर्श क–3, घटनास्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क–4, आरोप पत्र प्रदर्श क–5 को पेश किया गया। उक्त प्रपत्रों को अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया।

8. अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक 16.03.2026 को अंकित किया गया। अभियुक्त द्वारा कहा गया है कि वह निर्दोष है। पुलिस के कहने पर उसे झूंठा फंसाया गया है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है।

9. अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान ए0डी0जी0सी0 (दाण्डिक)

एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक अवलोकन किया।

निष्कर्ष

10. प्रस्तुत प्रकरण में विचारणीय तथ्य यह है कि क्या उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान में अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा सुरेन्द्र सिंह से जबरदस्ती पचास रूपये लूट लिये तथा लूटे गये रूपये, लूटे गये अभियुक्त के कब्जे से बरामद किये गये।

11. अभियोजन पक्ष द्वारा इस केस को साबित करने के लिए **वादी मुकदमा सुरेन्द्र सिह** को बतौर **साक्षी पी0डब्लू0–1** परीक्षित कराया गया।

साक्षी **पी0डब्लू0–1 सुरेन्द सिंह** ने न्यायालय के समक्ष अंकित मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि मैं लखनऊ में प्राइवेट नौकरी करता था। रक्षाबन्धन का त्योहार मनाने के लिये दिनांक 08.08.1998 को अपने दोस्त ड्राईवर अमर सिंह निवासी सरोजनी नगर लखनऊ के विक्रम यू०पी० 32ए 7801 से घर आया था। दिनांक 09.08.1998 को जब लखनऊ वापस जा रहे थे तो मेरे साथ मेरे गांव के रंजीत कुमार व हम दोनों लोग जा रहे थे कि जैसे ही हमारी गाड़ी रामपुर के सामने पहुंची कि मेरे पीछे एक सुजुकी मोटरसाइकिल जिसका नम्बर नहीं था, उसपर तीन लोग बैठे थे। मेरी गाड़ी के सामने लगाकर विक्रम को रोक लिया तथा तीनों लोगों ने जबरदस्ती मुझसे 2,00/–रूपये मांगे। जब मैंने कहा कि किस बात के पैसे मांग रहे हो तो इनमें से एक ने कहा कि मैं रोड का अध्यक्ष हूं, वह व्यक्ति सुजुकी मोटरसाइकिल चला रहा था। उसने कहा कि मेरी मर्जी के बिना रोड पर कोई नहीं चल सकता। जब उसको मैंने रूपये नहीं दिया तो जबरदस्ती मेरी जेब से सुजुकी मोटरसाइकिल पर सवार लोगों में से एक ने मेरे हाथ पकड़ लिया और दूसरे ने मेरी जेब से जबरदस्ती पचास रूपये निकाल लिये। मेरे साथी रंजीत कुमार ने कहा कि मैं दो लोगों को पहचानता हूं तब तीनों लोग सुजुकी मोटरसाइकिल पर बैठकर आगे चले गये। मैं भी उनके पीछे विक्रम से चला। यह घटना लगभग सायं 05.00 बजे की है। जब आगे चलकर गाड़ी से पुलिस आ रही थी तब मैंने उनको घटना बतायी। तब पुलिस ने मुझे साथ लेकर बदमाशों का पीछा किया तो मोटरसाइकिल सुजुकी को पेट्रोल खत्म हो जाने के कारण रामपुर के सामने तीनों लोगों मिल गये। उनको पहचानकर हम लोगों ने पुलिस की मदद से पकड़ लिया। पकड़े हुये व्यक्तियों में से

एक ने अपना नाम विनोद अवस्थी बताया तथा उसकी पहिनी शर्ट की जेब से मेरा लूटा हुआ 50/–रूपये मेरे सामने पुलिस ने बरामद किया। दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम संजू उर्फ मंजू बताया तथा उसकी पहिनी शर्ट की बांयी जेब से 60 ग्राम चरस एक मोमिया में लिपटा हुआ बरामद हुआ। तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम योगेन्द्र सिंह बताया। उससे मोटरसाइकिल के कागजात मांगे तो नहीं दिखा सका। मैंने आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस को प्रार्थनापत्र दिया था। उसी दिन मैंने प्रार्थनापत्र पर तीनों मुल्जिमानों के नाम लिखकर थाना ठठिया पर दिया था। गवाह को प्रार्थनापत्र कागज संख्या–5ए दिखाया गया तो गवाह ने कहा कि ये वही प्रार्थनापत्र है जो मैंने थाने पर दिया था। इस पर मेरे हस्ताक्षर है। गवाह अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता है। इस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। अभियुक्त विनोद अवस्थी के पास बरामद 50/–रूपये के नोट का लिफाफा सीलबंद अवस्था में न्यायालय में मौजूद है। न्यायालय के आदेश से सीलबंद लिफाफा खोला गया तो उसमें से निकल 50/–रूपये के नोट को देखकर गवाह ने कहा कि यह वही नोट है जो अभियुक्तगण ने लूटा था। 50/–रूपये के नोट पर वस्तु **प्रदर्श–1** व लिफाफे पर वस्तु **प्रदर्श–2** डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

साक्षी पी0डब्लू0–1 सुरेन्द्र सिंह से अभियोजनपक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षा की गयी जिसमें साक्षी ने कथन किया कि **मेरे पास से 50रूपये का नोट अभियुक्त संजू सिंह ने लूटा था। लूटपाट की घटना जो हुयी थी उसमें मैंने सिर्फ संजू सिंह उर्फ मंजू सिंह को ही पहचाना था। शेष मुल्जिमानों के नाम भीड़–भाड़ व गांव वालों के कहने पर लिखा दिये थे। हाजिर अदालत विनोद अवस्थी तथा योगेन्द्र सिंह को लूटपाट की घटना के समय न तो देखा था और न ही पहचाना था।** काफी समय हो जाने के कारण मुझे यह ध्यान नहीं है कि दरोगाजी ने मेरा बयान लिया था अथवा नहीं। पुलिस ने मेरे सामने अभियुक्त विनोद अवस्थी से कोई रूपये से बरामद नहीं किये थे अपितु संजू सिंह उर्फ मंजू सिंह के पास से 50रूपये बरामद किये थे। पुलिस ने मेरे सामने सुजुकी मोटरसाइकिल पर सवार केवल संजू सिंह को ही गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के समय विनोद अवस्थी तथा योगेन्द्र सिंह मौके पर मौजूद नहीं थे।

इस प्रकार स्वयं वादी मुकदमा साक्षी पी.डब्लू.–1 के बयान से अभियुक्त

विनोद अवस्थी के विरूद्ध विरचित आरोप साबित नहीं हो पाया है अपितु साक्षी पी.डब्लू.–1/ पीड़ित द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान में स्पष्ट रूप से यह बताया गया कि **मेरे पास से 50रूपये का नोट अभियुक्त संजू सिंह ने लूटा था। लूटपाट की घटना जो हुयी थी उसमें मैंने सिर्फ संजू सिंह उर्फ मंजू सिंह को ही पहचाना था। शेष मुल्जिमानों के नाम भीड़–भाड़ व गांव वालों के कहने पर लिखा दिये थे। हाजिर अदालत विनोद अवस्थी तथा योगेन्द्र सिंह को लूटपाट की घटना के समय न तो देखा था और न ही पहचाना था।**

12. अभियोजन पक्ष द्वारा इस केस को साबित करने के लिए **रंजीत सिंह** को बतौर **साक्षी पी0डब्लू0–2** परीक्षित कराया गया।

साक्षी **पी0डब्लू0–2 रंजीत सिंह** ने न्यायालय के समक्ष अंकित मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि दिनांक 09.08.1998 को मैं अपने चाचा सुरेन्द्र सिंह के साथ लखनऊ विक्रम संख्या–यू०पी०32ए–7801 से वापस नहीं जा रहा था। मैंने रामपुर के पास एक सुजुकी मोटरसाइकिल बिना नम्बर की तथा उस पर बैठे तीन लोगों को विक्रम रूकवाते नहीं देखा था, न ही उन्होंने मेरे सामने मेरे चाचा सुरेन्द्र सिंह को पकड़कर उनकी जेब से 50/– रूपये निकालते देखा था, न ही मैंने अभियुक्त विनोद अवस्थी, संजू सिंह व योगेन्द्र सिंह को देखा व पहचाना था। उस दिन सायं को 05.00 बजे मैं अपने गांव सिसइयनपुर्वा में था। मेरे सामने विनोद अवस्थी पकडे नहीं गये थे। संजू उर्फ मंजू व योगेन्द्र सिंह को भी मेरे सामने नहीं पकड़ा गया था। मेरे सामने अभियुक्त विनोद अवस्थी के पास से लूट हुये 50/रूपये बरामद नहीं हुये थे। मैंने अपनी आंखों से कोई घटना नहीं देखी थी। मैंने स्वयं किस भी अभियुक्त को नहीं पकड़ा था। इस स्तर पर गवाह को **पक्षद्रोही** घोषित किया गया।

साक्षी पी0डब्लू0–2 रंजीत सिंह से अभियोजन पक्ष की ओर से ए.डी.जी.सी. दाण्डिक प्रतिपरीक्षा की गयी जिसमें साक्षी ने कथन किया कि यह कहना गलत है कि दिनांक 09.08.1998 को समय करीब 05.45 बजे सायं को रामपुर के पास अन्तर्गत थाना ठठिया में हाजिर अदालत आये अभियुक्तगण विनोद अवस्थी, योगेन्द्र सिंह ने मेरे चाचा सुरेन्द्र सिंह की जेब से 50/रूपये जबरदस्ती लूट लिये थे। यह कहना गलत है कि उसी दिन उसी समय मेरे सामने विनोद अवस्थी के कब्जे से लूट 50/–रूपये बरामद हुये थे। यह कहना गलत है कि मेरे सामने पुलिस

ने विनोद अवस्थी व योगेन्द्र सिंह को पकड़ा हो। इस सम्बन्ध में किसी पुलिस वाले ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। गवाह को अन्तर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान पढकर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि उसने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। कैसे लिख लिया मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। मैंने विनोद अवस्थी व योगन्द्र को कोई लूटपाट करते नहीं देखा था न ही मेरे सामने कोई लूट का सामान बरामद किया गया।

इस प्रकार घटना का चक्षुदर्शी साक्षी पी.डब्लू.–2 रंजीत सिंह द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध विरचित आरोप व अभियोजन कथानक को किसी भी प्रकार से साबित नहीं किय गया है।

आरोपपत्र के एक अन्य तथ्य के साक्षी अमर सिंह को अभियोजन पक्ष द्वारा पेश नहीं किया गया है। साथ ही साथ वाद पत्रावली अत्यन्त प्राचीन होने के कारण औपचारिक साक्षीगण की नियुक्ति के विषय में भी कोई जानकारी प्राप्त न होने के कारण न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया। यह अवश्य है कि अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है, किन्तु मात्र इस आधार पर अभियोजन कथानक को स्वीकार किये जाने की उपधारणा नहीं की जा सकती है। मामला पूर्णतः संदेह की परिधि में हो जाता है।

13. उपरोक्त सम्पूर्ण विश्लेशण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त **विनोद अवस्थी** के विरूद्व लगाये गये आरोप अन्तर्गत **धारा–392, 411 भारतीय दण्ड संहिता** संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः अभियुक्त **विनोद अवस्थी** के विरूद्व लगाये गये आरोप अन्तर्गत **धारा–392, 411 भारतीय दण्ड संहिता में दोषमुक्त** किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्त **विनोद अवस्थी** को **विशेष सत्र परीक्षण संख्या–47/2011 राज्य प्रति विनोद अवस्थी, मुकदमा अपराध संख्या 220/1998, अपराध अन्तर्गत धारा–392, 411 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है**।

अभियुक्त हाजिर अदालत है।

उसके जमानतनामें एवं बंधपत्र निरस्त करते हुए प्रतिभूगण को उनके जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437–क के अन्तर्गत 20,000/–हजार रूपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इसी धनराशि के एक प्रतिभू की जमानत दाखिल करे।

दिनांक 26.03.2026 (हरि प्रसाद)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(दस्यु प्रभावित क्षेत्र) कक्ष संख्या–1, कन्नौज।

J.O.CODE–UP6489

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनाँकित एवं उद् घोषित किया गया।

दिनांक 26.03.2026 (हरि प्रसाद)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(दस्यु प्रभावित क्षेत्र) कक्ष संख्या–1, कन्नौज।

J.O.CODE–UP6489

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, जनपद कन्नौज।

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–47/2011

उत्तर प्रदेश सरकार प्रति विनोद अवस्थी आदि

दिनांक 25.03.2026

वाद पुकारा गया। पुकार पर उपस्थित अभियुक्त मय विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान ए.डी.जी.सी.। पत्रावली बहस हेतु नियत है। उभय पक्षों को सुना।

वाद पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 26.03.2026 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या–1, जनपद कन्नौज।

दिनांक–26.03.2026

वाद पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई।

आदेश हुआ कि– अभियुक्त **विनोद अवस्थी** को **विशेष सत्र परीक्षण संख्या–47/2011 राज्य प्रति विनोद अवस्थी, मुकदमा अपराध संख्या 220/1998, अपराध अन्तर्गत धारा–392, 411 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है**।

अभियुक्त हाजिर अदालत है।

उसके जमानतनामें एवं बंधपत्र निरस्त करते हुए प्रतिभूगण को उनके जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437–क के अन्तर्गत 20,000/–हजार रूपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इसी धनराशि के एक प्रतिभू की जमानत दाखिल करे।

अपर सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या–1, जनपद कन्नौज।